

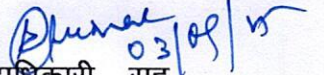


CHO पद के अभ्यर्थियों के लिए आपत्ति-आमंत्रण सूचना (विज्ञापन संख्या-02/2025)

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अन्तर्गत राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के विज्ञापन संख्या-02/2025 [PR. No. 000734 (B&C) 2025-26] के तहत Community Health Officer (CHO) के 4500 संविदागत पदों पर चयन/नियोजन हेतु दिनांक **10.07.2025** को ऑनलाईन Computer Based Test (CBT) में सफल अभ्यर्थियों में से कोटिवार रिक्ति के अनुसार मेधाक्रम में अधिकतम 1:1.5 के अनुपात में अभ्यर्थियों का प्रमाण-पत्र सत्यापन/काउन्सेलिंग दिनांक-11 से 18 अगस्त, 2025 (अवकाश दिवस को छोड़कर) एवं दिनांक 22.08.2025 को आयोजित की गयी।

उक्त प्रमाण-पत्र सत्यापन के उपरांत असफल (Disqualified) अभ्यर्थियों की सूची (कारण सहित) समिति के वेबसाइट <https://shs.bihar.gov.in/> पर प्रकाशित की जा रही है। उक्त सूची में अंकित Disqualified घोषित किये जाने वाले कारण के विरुद्ध संबंधित अभ्यर्थियों से दिनांक **10.09.2025** के अपराह्न 05:00 बजे तक विहित प्रपत्र में दावा/आपत्ति (Objection) आमंत्रित की जाती है।

अतः प्रकाशित सूची में वर्णित असफल (Disqualified) अभ्यर्थी, Rejection Remarks के विरुद्ध संलग्न दिशा-निर्देश में निहित शर्तों का अनुपालन करते हुए विहित प्रपत्र में अपना दावा/आपत्ति दर्ज कर सकते हैं।


प्रशासी पदाधिकारी -सह-
प्रभारी, मानव संसाधन

कोई भी व्यक्ति चाहे वह सरकारी अथवा गैर-सरकारी वाह्य व्यक्ति हो, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार में नौकरी दिलाने के नाम पर आपसे सम्पर्क स्थापित कर ठगी करने का प्रयास करते हैं, तो ऐसे तत्वों के संबंध में अविलंब राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार कार्यालय को सूचित करें। ऐसे किसी तत्वों से संलिप्तता पाये जाने पर संबंधित अभ्यर्थी की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

साथ ही, सोशल मिडिया पर भ्रमित किये जाने वाले सूचनाओं से अभ्यर्थी सजग रहें तथा नियुक्ति से संबंधित किसी भी जानकारी हेतु समिति के वेबसाइट <https://shs.bihar.gov.in/> का सतत अनुश्रवण करते रहें।

आपत्ति दर्ज करने संबंधी विहित प्रपत्र

क्र.सं.	विषय	विवरण (अभ्यर्थी द्वारा भरा जाएगा।)
1.	विज्ञापन संख्या	02 / 2025
2.	पदनाम	Community Health Officer (CHO)
3.	रजिस्ट्रेशन नम्बर	
4.	रौल नम्बर (Admit Card की प्रति संलग्न करें)	
5.	अभ्यर्थी का नाम (अंग्रेजी के बड़े अक्षर में)	
6.	पिता का नाम	
7.	फोटोयुक्त पहचान-पत्र (संलग्न करें)	
8.	प्रकाशित सूची में रिजेक्शन का कारण	
9.	आपत्ति की विवरणी	
10.	साक्ष्य (यदि हो, तो संलग्न करें)	

नोट:- यदि किसी भी प्रकार की सूचना त्रुटि/गलती/असत्य पाये जाने पर मेरे विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जा सकती है।

.....
अभ्यर्थी का हस्ताक्षर (तिथि सहित)

आपत्ति दर्ज करने संबंधी दिशा-निर्देश

1. संबंधित अभ्यर्थियों की आपत्ति केवल उक्त विहित प्रपत्र में ही मान्य होंगे। इसके अतिरिक्ति आवेदन/ईमेल आदि के माध्यम से प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।
2. आपत्ति की मूलप्रति (Hard Copy) निर्धारित तिथि (10.09.2025) के अपराह्न 05:00 बजे तक राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार कार्यालय, स्वास्थ्य भवन, शेखपुरा, पटना-14 में स्वयं उपस्थित होकर जमा करेंगे। उक्त निर्धारित तिथि के उपरांत अथवा अन्य माध्यम से प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।
3. आपत्ति का कारण साक्ष्य सहित स्पष्ट शब्दों में अंकित करना होगा। अस्पष्ट अथवा अपठनीय या साक्ष्य रहित आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।
4. अभ्यर्थी कृपया ध्यान देंगे कि आपत्ति के रूप में किसी भी प्रकार के (वांछित) नये कागजात/दस्तावेज आदि मान्य नहीं किये जायेंगे। अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित आपत्ति (साक्ष्य सहित) के आधार पर प्रमाण-पत्र सत्यापन में उपलब्ध कराये गये कागजात/दस्तावेज आदि की जाँच की जाएगी। अर्थात् अभ्यर्थी केवल प्रकाशित सूची में Disqualified/Rejection Remarks के कारण के विरुद्ध ही अपनी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, इससे भिन्न नहीं।